(वाद संख्या–4068/4/5/2020)

15.09.2021

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, दिलीप कुमार ताँती का जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति बालिका कल्याण छात्रावास, सुन्दरवती महिला महाविद्यालय, भागलपुर में दिनांक–01.10.2018 से सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत है, का फरवरी 2019 से सितम्बर 2019 तक का पारिश्रमिक का भुगतान, भागलपुर समाहरणालय द्वारा न किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर के प्रतिवेदनानुसार परिवादी को सुरक्षा गार्ड के संचालक सेफ्टी प्रौटेकटीव एजेन्सी अहमदिया बिलडिंग रामसर चौक, भागलपुर के द्वारा सभी बकाया पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया है। इस संबंध में परिवादी के बकाया पारिश्रमिक भुगतान पाने से संबंधित आवेदन भी संलग्न है, जिसमें परिवादी का कथन है कि उसका अब कोई पारिश्रमिक बकाया नहीं है।

अब, जबकि परिवादी के परिवाद पत्र में उल्लिखत समस्या का समाधान हो चुका है तो ऐसी स्थिति में उक्त के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिलाधिकारी, भागलपुर के प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक